



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276080
CG-DL-E-09092026-276080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 700]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 766(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, , -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते.- आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते तथा उनकी भर्ती की पद्धति अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

4. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों के नाम, उनकी संख्या, वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. नियुक्ति प्राधिकारी.- आयोग का अध्यक्ष, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रक्रिया.- (1) सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) आयोग, विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;

(ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएगी ;

(ग) (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 9 (53100-167800 रु.) और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष;

2. निदेशक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य;

3. उपसचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य।

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रु.) और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. निदेशक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष;

2. उपसचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य;

3. अवर सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य।

(2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

9. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) आयोग रिक्त पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ;

(ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएगी;

(ग) (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 9 (53100-167800 रु.) और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष;
2. निदेशक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य;
3. उपसचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य।

(ii) स्तर – 8 (47600-151100 रु.) और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. निदेशक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष;
2. उपसचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य;
3. अवर सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य।

(2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।

10. सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए प्रक्रिया.- (1) सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) नियम 8 और 9 में यथा उल्लिखित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन के पश्चात् छांटे गए आवेदन अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष रखे जाएंगे ;

(ख) (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78800-209200 रु.) और उससे ऊपर के पदों के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;
3. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500 रु.) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (56100-177500 रु.) के पदों के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;
3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 9 (53100-167800 रु.) और उससे नीचे के पदों के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;

2. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;

(2) चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।

11. विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-- (1) (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78800-209200 रु.) और उससे ऊपर के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;
3. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500 रु.) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67700-208700 रु.) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;
3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 9 (53100-167800 रु.) और उससे नीचे के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – अध्यक्ष ;
2. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) – सदस्य ;
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी – सदस्य ;

(2) विभागीय पदोन्नति समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।

12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगे।

13. सेवा की शर्तें.- (1) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के वेतन, कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति फायदों, सरकारी आवास गृह और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्समय लागू हैं।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा शासकीय विदेशी दौरे करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जिन्हें वास-सुविधा आवंटित नहीं की गई है, वे केन्द्रीय सरकार के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(4) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनके पास साधारण पूल के अधीन सरकारी आवासीय वास-सुविधा है, वे सरकारी आवासीय वास-सुविधा बनाए रखने के लिए पात्र होंगे।

(5) (i) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसी भविष्य निधि स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में लागू होती हैं ;

(ii) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से भविष्य निधि के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;

(iii) विलंब से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी।

(6) आयोग के प्रतिनियुक्ति से भिन्न अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा के हकदार होंगे:

परन्तु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द की दशा में वे ऐसी समूह बीमा स्कीम द्वारा शासित होना जारी रहेंगे, जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू होती है।

(7) (i) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से बीमा स्कीमों के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;

(ii) विलंब से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी।

(8) आयोग के ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे।

(9) आयोग के ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में उपलब्ध हैं।

(10) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 लागू होंगे।

14. अवशिष्ट उपबंध.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के सेवाओं के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उपबंध नहीं किए गए हैं, आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे।

15. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की आयोग के परामर्श से यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. विधिक सलाहकार।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (रु. 123100- 215900)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और अन्य अर्हताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा हो।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति / अल्पकालिक संविदा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति या चयन समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रुपये) में उप विधिक सलाहकार। टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, जो : (क) (i) नियमित रूप से सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पर्यवेक्षी स्तर पर विधिक सलाह देने और विधिक कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव; या	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- 1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष; 2. केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर एक बाहरी विधिक विशेषज्ञ - सदस्य; 3. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- 1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु	लागू नहीं होता।

(iii) कम से कम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी या विधिक सलाह देने के लिए होना चाहिए; वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1— पोषण प्रवर्ग के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए हुए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष; 2. केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर एक बाहरी विधिक विशेषज्ञ - सदस्य; 3 सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 (78800-209200 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (67700-208700रु.) में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11(67700-208700रू.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10(56100-177500रू.)में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -9 (53100-167800रू.) में या दोनों में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा की है; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात् :-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;
(ii) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर प्वाइंट से परिचित हो।
- टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष; 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य ; 3. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति की दशा में चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) - अध्यक्ष; 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप विधिक सलाहकार ।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रु.)।	लागू नहीं होता ।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री के साथ केंद्रीय सरकार या कानूनी निकायों या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या राज्य सरकार में विधिक कार्य का सात वर्ष का अनुभव या अर्हित विधिक व्यवसायी होना चाहिए, जिसने सात वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया हो । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या पी.एच.डी या एम फिल के साथ केंद्रीय सरकार या कानूनी निकायों या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या राज्य सरकार में विधिक कार्य का सात वर्ष का अनुभव या अर्हित विधिक व्यवसायी होना चाहिए, जिसने सात वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया हो । वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष । टिप्पण:- सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित दो सप्ताह की अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगी ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10(56100-177500रु.) में ऐसे सहायक विधिक सलाहकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10(56100-177500रु.) में पांच वर्ष या वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (53100-167800रु.) में सात वर्ष या वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47600-151100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -अध्यक्ष;
 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य;
 3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य।
- चयन समिति (सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति की दशा में चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(13)

लागू नहीं होता।

1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग)	-अध्यक्ष;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी	- सदस्य;
3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग)	-सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अवर सचिव।	*3(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600-151100रु.) में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10(56100-177500 रु.)में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (53100-167800 रु.) में या दोनों में संयुक्त रूप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600-151100रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400रु.) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात् :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) जिनके पास मूल काडर या विभाग में प्रशासन या वित्त या लेखाओं के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -अध्यक्ष; 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -अध्यक्ष; 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. प्रधान निजी सचिव।	*3(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700–208700 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600-151100रू.) में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10(56100-177500 रू.)में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -9 (53100-167800 रू.) में या दोनों में संयुक्त रूप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600-151100रू.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400रू.) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात् :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) आशुलिपि(अंग्रेजी और हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर प्वाइंट से परिचित हो। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -अध्यक्ष; - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य;	लागू नहीं होता।

3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -अध्यक्ष; 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग) -सदस्य।	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक विधिक सलाहकार।	*1(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100 - 177500 रु0)।	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या राज्य सरकार में विधिक कार्य का चार वर्ष का अनुभव या अर्हित विधिक व्यवसायी होना चाहिए, जिसने इस प्रकार से चार वर्ष व्यवसाय किया हो; या विधि में मास्टर डिग्री या पीएचडी या एमफिल के साथ केंद्रीय सरकार या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या राज्य सरकार में दो वर्ष का अनुभव या अर्हित विधिक व्यवसायी होना चाहिए, जिसने इस प्रकार से दो वर्ष व्यवसाय किया हो। वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: विधिक सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7(44900-142400 रुपये) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था की अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 (47600-151100 रुपये) में चार वर्ष नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव हो। टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य। चयन समिति (सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति की दशा में चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. केंद्रीय सरकार में निदेशक के स्तर या ऊपर के स्तर का कोई बाहरी विधिक विशेषज्ञ - सदस्य ; 3. निदेशक या उपसचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी।	*1(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (53100- 167800रु०)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
--------------------------	---	-------------	---	-----------------	-----------------

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सहायक लेखा अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900- 142400 रुपये) में श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण- :जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8(47600-151100 रुपये) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) मूल काडर या विभाग में प्रशासन या वित्त और लेखा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य; 3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति की दशा में चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा	लागू नहीं होता।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए (आयोग) - सदस्य
टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. निजी सचिव।	*4(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47600- 151100रु0)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी -	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य; 3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।
(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7(44900-142400 रुपये) में चार वर्ष नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35400-112400 रुपये) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और	1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष;
(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) आशुलिपि में (अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो) और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में दक्ष हो।	2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य
टिप्पण-1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य।
टिप्पण-2 :प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण-3 :प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. अनुभाग अधिकारी।	*2(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47600- 151100रु०)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सहायक अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण- : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7(44900-142400 रुपये) में चार वर्ष नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35400-112400 रुपये) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) मूल काडर या विभाग में प्रशासन या वित्त या लेखा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण-1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2 :प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3 :प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य; 3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य। चयन समिति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग) - सदस्य; 3. उप सचिव या उपर स्तर का अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य।
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. विधिक सहायक।	*2(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर- 7 (44900- 142400 रु0)।	लागू नहीं होता।	बत्तीस वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री के साथ केंद्रीय सरकार या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या राज्य सरकार में विधिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव या अर्हित विधिक व्यवसायी होना चाहिए, जिसने इस प्रकार से दो वर्ष का व्यवसाय किया हो; या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या पीएचडी या एमफिल। वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों, अथवा स्वायत्त या संविधिक संगठन या लोक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थान का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण वाले; या (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति (सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र —सदस्य; 3. केंद्रीय सरकार में उप सचिव स्तर या उच्च स्तर का एक बाह्य कानून विशेषज्ञ—सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. सहायक अनुभाग अधिकारी	*6(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री कंप्यूटर ज्ञान सहित, जिसमें एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट का ज्ञान भी शामिल है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200- 92300 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81000 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति (सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र—अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र—सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी—सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. निजी सहायक	*4(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यों से सुपरिचित हो।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित 2 सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81000 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।	चयन समिति (सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र —सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी —सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. सहायक लेखा अधिकारी।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और सरकार, साविधिक निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि तथा सरकार, साविधिक निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव। (ख) सरकार, साविधिक निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अर्हता।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित 2 सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ऐसे लेखपाल जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को पदोन्नति के लिए विचाराधीन किया जाता है, वहां उनके वरिष्ठ कर्मचारियों को भी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, परंतु यह कि वे अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता से उस सेवा की आधी अवधि अथवा 2 वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक पीछे न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड पदोन्नति हेतु निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी —सदस्य। चयन समिति (सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी —सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रु.)	लागू नहीं होता।	32 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें वैचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी वैकल्पिक विषय रहा हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें वैचलर डिग्री स्तर पर हिंदी वैकल्पिक विषय रहा हो साथ ही सरकारी कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष को अनुभव हो।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित 2 सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेसन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81000 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।	चयन समिति (सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. सदस्य सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी —सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. लेखपाल।	*1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (1) वाणिज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (2) सरकार, साविधिक निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वित्त या लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अर्हता।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित 2 सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)		(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेसन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी। (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या		चयन समिति (सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति/आमेसन के मामले में चयन पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—	लागू नहीं होता।

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. सदस्य सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र) —सदस्य; 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी —सदस्य।	
--	---	--

[फा. सं. क्यू-15014/01/2022/सीपीए/ई-174757]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 11 read with the clause (f) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) and in supersession of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2022 except as respects things to be done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "Commission" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas constituted under section 3 of the Act;

(c) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Number, salaries and allowances of the officers and staff of the Commission- The number, salaries and allowances of the officers and other staff of the Commission and their method of recruitment shall be as specified in the Schedule.

4. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The name of the posts, their number, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Appointing authority.- The Chairperson of the Commission shall be the appointing authority for the officers and staff of the Commission.

8. Procedure for screening in case of direct recruitment.-(1) The procedure for screening in case of direct recruitment shall be following, namely:-

- (a) the Commission shall invite applications for the post through an advertisement;
- (b) all such applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;
- (c) (i) the screening committee for posts of level-9 (Rs.53100- 167800) in the pay matrix and above shall consist of:

1. Member-Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;
2. Director (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member;
3. Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.

- (ii) the screening committee for posts of level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix and below shall consist of:

1. Director (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;
2. Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member;
3. Under Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.

- (2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.

9. Procedure for screening in case of appointment by deputation.- (1) The procedure for screening in case of appointment by deputation shall be following, namely:-

- (a) the Commission shall invite applications for the vacant posts through an advertisement on all India basis;

(b) the applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;

(c) (i) the screening committee for posts of level-9 (Rs.53100- 167800) in the pay matrix and above shall consist of

1. Member-Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;

2. Director (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member;

3. Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.

(ii) the screening committee for posts of level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix and below shall consist of:

1. Director (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;

2. Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member;

3. Under Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.

(2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.

10. Procedure for selection in case of direct recruitment for or deputation.- (1) The procedure for selection in case of direct recruitment shall be as follows, namely:-

(a) After the scrutiny of applications by the screening committee as mentioned at rules 8 and 9, short-listed applications shall be placed before the selection committee constituted by the Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas);

(b) (i) the selection committee for posts of level-12(Rs.78800- 209200) in the pay matrix and above shall consist of:

1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas)- Chairman;

2. Joint Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (Ministry of Environment, Forest and Climate Change.) –Member;

3. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas)- Member.

(ii) the selection committee for posts of level-10(Rs.56100- 177500) in the pay matrix and level-11(Rs.67700- 208700) in the pay matrix shall consist of:

1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;

2. Director or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. - Member;

3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member.

(iii) the selection committee for posts of level-9(Rs.53100- 167800) in the pay matrix and below shall consist of:

1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;

2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member;
3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. - Member.

(2) Absence of any of the member of the selection committee shall not invalidate the proceedings of the selection committee.

11. The Composition of Departmental Promotion Committee shall be as follows :- (1) (i) the departmental promotion committee for posts of level-12(Rs.78800- 209200) in the pay matrix and above shall consist of:

1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman;
2. Joint Secretary or above level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. – Member;
3. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member.

(ii) the departmental promotion committee for posts of level-10(Rs.56100- 177500) in the pay matrix and level-11(Rs.67700- 208700) in the pay matrix shall consist of:

1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman;
2. Director or above level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. – Member;
3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.

(iii) the departmental promotion committee for posts of level-9(Rs.53100- 167800) in the pay matrix and below shall consist of:

1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman;
2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member;
3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. - Member.

(2) Absence of any of the member of the departmental promotion committee shall not invalidate the proceedings of the departmental promotion committee.

12. Period of deputation.- The instructions on deputation issued, from time to time, by the Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis.

13. Conditions of service.- (1) The conditions of service of the officers and staff of the Commission in matters of pay, joining time, joining time pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, travelling allowance and leave travel concession, and retirement benefits, Government residential accommodation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the employees belonging to the corresponding level in the pay matrix of the Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member of the Commission authorised by the Chairperson in this behalf shall be required for official visits abroad to be undertaken by officers and staff of the Commission.

(3) The officers and staff of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for house rent allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay.

(4) The officers and staff of the Commission who are on deputation and having Government residential accommodation under general pool shall be eligible to retain Government residential accommodation.

(5) (i) the officers and staff of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation:-

(ii) the Commission shall recover contribution towards provident fund from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation;

(iii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(6) The officers and staff of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the officers and staff of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

(7) (i) the Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation;

(ii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(8) The officers and staff of the Commission who are not on deputation shall be governed by the National Pension System.

(9) The officers and staff of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

(10) The Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 shall apply to the officers and staff of the Commission.

14. Residuary provision.- Matters relating to the terms and conditions of service of the officers and staff of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules or such provisions have not been made by the Central Government, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.

15. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex- servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

16. Powers to relax.- Where the Central Government in consultation with the Commission, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Legal Adviser.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -13 (Rs. 123100- 215900) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and other qualifications prescribed for direct recruitment will be applicable in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation/short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion or Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Legal Adviser in level -11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous or Statutory organizations, Public Sector Undertakings, University or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 12(78800-209200) in the pay matrix or ten years regular service in level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) having experience not less than ten years in rendering legal advice and handling legal work in supervisory level in the parent cadre or department; or (iii) having experience not less than ten years, out of which five years should be in Supreme Court or High Court handling litigation or legal advice; Desirable: Minimum five years of experience of legal work in the field of Pollution Control or Environment protection.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. One External Legal Expert at the Level of Joint Secretary or above in Central Government - Member; 3. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation or short-term contract) consisting of:- 1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. One External Legal Expert at the level of Joint Secretary or above	Not applicable.

Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five year. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	in Central Government – Member; 3 Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) –Member.	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Principal Private Secretary.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion:- Principal Private Secretary in level -11(Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iii) with ten years regular service in the level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or in level 9(Rs. 53100-	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) –Chairman; 2. Joint Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change –Member; 3. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) –Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation) consisting of:-	Not applicable.

167800) in the pay matrix or combined both in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Possessing speed of 80 words per minute in stenography (English or Hindi) and conversant in Microsoft Word or Excel or Power Point. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Chairperson (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Joint Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. – Member; 3. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Legal Adviser.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: Bachelor's degree in law from a recognised University with seven years' experience of legal work in the Central Government or statutory bodies or autonomous bodies or Public Sector Undertakings or in the State Government or should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for seven years. Or Master Degree or Ph. D. or M. Phil. in law from a recognised University with five years' experience in the Central Government or statutory bodies or autonomous bodies or Public Sector Undertakings or in the State Government or should be a qualified legal	Not applicable.	One year for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment.

practitioner, who has practised as such for five years.			
Desirable : Minimum three years of experience of legal work in the field of Pollution control or Environment protection.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Legal Advisor in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings, University or recognised research institution. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 (Rs.56100- 177500) in the pay matrix or seven years regular service in level -9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix or eight years regular service in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or above level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member. Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. One External Legal Expert at the level of Director or above level officer in Central Government -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.	Not applicable.

Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Under Secretary.	*3(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Section Officer in level - 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with eight years regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or in level -9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or both combined in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iv) with nine years regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University;	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. — 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) — Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas)	Not applicable.

(ii) with five years experience in the field of administration or finance or accounts in the parent cadre or Department. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	- Chairman; 2. Director or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. —Member; 3 Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) — Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Principal Private Secretary.	*3(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion:- Private Secretary in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with eight years regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) —Chairman; 2. Director or above level officer of Ministry of Environment,	Not applicable.

the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level- 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or combined both in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iv) with nine years regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Possessing speed of 80 words per minute in stenography (English and Hindi) and conversant in Microsoft Word or Excel or Power Point. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Forest and Climate Change. -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Legal Adviser.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: Bachelor's degree in law from a recognised university with four years' experience of legal work in the Central Government or statutory bodies/autonomous bodies or Public Sector Undertakings or in the State Government or should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for four years. Or Master Degree or Ph. D. or M. Phil. in Law with two years' experience in the Central Government or statutory bodies or autonomous bodies or Public Sector Undertakings or in the State Government or should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for two years. Desirable: Minimum two years of experience of legal work in the field of Pollution control or Environment protection.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Legal Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. Note:- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking, University or recognised research institution. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with four years regular service in the level- 8(Rs. 47600-151100) in the pay matrix or five years regular service in level 7(Rs.44900-142400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Chairman; 2. Director or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. –Member; 3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member. Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. One External Legal Expert at the level of Director or above level officer in Central Government – Member;	Not applicable.

Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	3. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) – Member.	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Senior Accounts Officer.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Accounts Officer in level- 7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix with four years' regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	Not applicable.

(ii) with three years regular service in the level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or four years regular service in level 7(Rs.44900-142400) in the pay matrix or eight years regular service in level- 6 (Rs.35400-112400) in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) with three years' experience in the field of administration or finance and accounts in the parent cadre or Department. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Selection Committee (for considering selection in case of deputation) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Private Secretary.	*4(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -8 (Rs.47600- 151100) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Personal Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with four years regular service in the grade. Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman;	Not applicable.

successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with four years regular service in the level-7(Rs.44900-142400) in the pay matrix or six years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Possessing speed of 80 words per minute in stenography (English or Hindi) and conversant in Microsoft Word or Excel or Power Point. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Section Officer.	*2(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation/absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Section Officer in level- 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with four years' regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.

Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with four years regular service in the level-7(Rs.44900-142400) in the pay matrix or six years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) with three years experience in the field of administration or finance or accounts in the parent cadre or Department. Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member. Selection Committee (for considering selection in case of deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Legal Assistant.	*2(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty-two years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: Bachelor's degree in law from a recognised university with two years' experience of legal work in the Central Government or statutory bodies or autonomous bodies or public sector undertakings or in the State Government or should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for two years. Or Master Degree or Ph..D. or M. Phil. in law from a recognised University. Desirable: Minimum one year of experience of legal work in the field of Pollution control or Environment protection.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking, University or recognised research institution. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix or eleven years regular service in level 5(Rs.29200-92300) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. One External Legal Expert at the level of Deputy Secretary or above level officer in Central Government -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Assistant Section Officer.	*6(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognised University with computer knowledge including Microsoft Word or Excel or Power Point.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix or eight years regular service in level 5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or ten years regular service in level 4(Rs. 25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Personal Assistant.	*4(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognised University and possessing speed of 80 words per minute in stenography (English or Hindi) and conversant in Microsoft Word or Excel or Power Point and other relevant computer functions	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix or eight years regular service in level 5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or ten years regular service in level 4(Rs. 25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Assistant Accounts Officer.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (a) Master's degree from a recognised University in Commerce with minimum two years' experience in the field of Finance and Accounts in the Government or statutory bodies or Public Sector Undertakings. Or Bachelor's degree from a recognised University in Commerce with minimum four years' experience in the field of Finance and Accounts in the Government or statutory bodies or Public Sector Undertakings. (b) Minimum three years' experience in the field of Finance and Accounts in the Government or statutory bodies or public sector undertakings. Desirable: Chartered Accountant or Cost and Management Accountant from a recognised institute.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Promotion failing which deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Accountant in level- 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade . Note.- Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking:	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix or eight years regular service in level 5(Rs.29200-92300) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Junior Translator (OL).	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding thirty-two years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree from a recognised University in Hindi with English as an elective subject in Bachelor's degree or Master's degree in English with Hindi as elective subject in Bachelor's degree with two years' experience in the relevant field in Government or statutory bodies or public sector undertakings.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Deputation/absorption failing which direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or	Selection Committee (for considering selection in case of direct recruitment/deputation/absorption) consisting of:-	Not applicable.

(ii) with six years regular service in level 5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or eight years regular service in level 4(Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Accountant.	*1(2026) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Bachelor's degree from a recognised University in Commerce. 2. Minimum three years' experience in the field of finance or accounts in the Government or statutory bodies or public sector undertakings. Desirable: Chartered Accountant or Cost and Management Accountant from a recognised institute.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note:- Direct recruits would be required to successfully complete mandatory induction training of two weeks duration as prescribed by the Central Government.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertaking:	Selection Committee (for considering selection in case of direct	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level 4(Rs. 25500-81100) in the pay matrix or eight years regular service in level 3(Rs.21700-69100) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	recruitment/deputation/absorption) consisting of:- 1. Member Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) - Member; 3. Deputy Secretary or above level officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. -Member.	
---	---	--

[F. No. Q-15014/01/2022-CPA]/E-174757]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.